1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 06.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सांचोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2023 बअनवान भगवानाराम वगैरह बनाम अचला वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेण्ट सं. 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट व शेष रेस्पोंडेण्ट्स के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि मौजा आम्बा का गोलिया, पटवार हल्का झाब के खसरा नं. 192 रकबा 1.98 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के खेत व रहवासी ढ़ाणी में आने–जाने के लिए रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खेत खसरा नं. 196 में से 8 मीटर चौड़ा व 77 मीटर लम्बा, अप्रार्थी संख्या 4 से 16 के खेत खसरा नं. 211 में से 8 मीटर चौड़ा व 24 मीटर लम्बे रास्ते की निकटतम रूट से आवश्यकता है। उक्त रास्ते से आने–जाने के लिए सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त खेत में काश्त करने में आने–जाने के लिए निकटतम रूट का सुविधाजनक रास्ता नहीं है, जिसे संलग्न नक्शे परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अपीलाण्ट को बिना तामिल के भी एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट की ओर से उक्त अपील पेश की जा रही हैं कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के नोटिस ना तो प्राप्त हुए, ना ही ऐसी सूचना अपीलाण्ट को हुई, अपीलाण्ट को बिना नोटिस तामिल हुए सिर्फ डाक रसीद के आधार पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल मानी जाकर अपीलाण्ट के विरूद्ध दिनांक 03.04.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी, जबकि अपीलाण्ट को भेजे गये नोटिस की ट्रेक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं की, बिना ट्रेक रिपोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की तामिल पूर्ण मान ली। जबकि अपीलाण्ट को नोटिस प्राप्त ही नहीं हुआ था, फिर भी अपीलाण्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट के अलावा अन्य पक्षकारों को भी नोटिस तामिल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नहीं हुए थे, ना ही तामिल रिपोर्ट रिकॉर्ड पर थीं, फिर भी प्रोपर तामिल मानकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, जो विधिसंगत नहीं हैं। रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251–ए के तहत् विधिनुसार जो प्रारूप है वह प्रारूप के अनुसार आवेदन पेश नहीं किया है, जो विधिक रूप से ग्रहण योग्य भी नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अविधिक रूप से प्रस्तुत आवेदन को दर्ज मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार महोदय को मौके पर उपस्थित होकर मौका मुआवजा किया जाना कानूनी रूप से आज्ञापक सिद्धांत है, लेकिन तहसीलदार द्वारा उपस्थित नहीं होकर पटवारी एवं आरआई को मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु भेजा तथा उनके द्वारा ही मौका रिपोर्ट तैयार की, जो रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार पटवारी एवं आरआई को नहीं होने से रिपोर्ट कानूनन पढ़े जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई हैं। समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय द्वारा नोटिस कमांक का मौका रिपोर्ट में अंकन नहीं है, ना ही किस तारीख को पक्षकारों को नोटिस जारी किये अंकन नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को तहसीलदार कार्यालय द्वारा मौका रिपोर्ट की जांच करने की सूचना नहीं दी गई, जिससे अपीलाण्ट मौका निरीक्षण के समय उपस्थित नहीं हो सका। अगर अपीलाण्ट को मौका निरीक्षण की सूचना दी जाती तो अपीलाण्ट मौके पर उपस्थित होकर मौका कमिश्नर को मौके की स्थिति से अवगत करवाता तो अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय करने में सुविधा होती। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 5 के खेत में जाने हेतु पूर्व में 100 वर्षो से रास्ता चालू है तथा उपयोग उपभोग कर रहे रहे है तो नये रास्ते हेतु आवेदन किया नहीं जा सकता था, ना ही नया सुविधाजनक रास्ता नहीं दिलाया जा सकता, दिलाये गये रास्ते में अपीलाण्ट का निर्माण, पेड़, ट्यूबवेल, पाईप लाईन मौजूद है फिर भी रास्ता दिलाया है, अपीलाण्ट कृषक व्यक्ति है, कृषि भूमि की आय से उसके घर का खर्चा चलता है, भरण पोषण करता है, अगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की ओट में अपीलाण्ट की जमीन से रास्ता दिला दिया जाता है तो अपीलाण्ट अपने हक अधिकार से मेहरूम हो जाएगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध ग्राम आंबा का गोलिया स्थित अपनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खातेदारी आराजी खसरा संख्या 192 तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.02.2026 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण से जवाब तलब किया गया। अपीलांट सहित अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण में भू.अ.नि. से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। जो भू.अ.नि. जाब द्वारा दिनांक 07.06.2024 को तैयार की गई। उक्त जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी सहित अप्रार्थीगण संख्या 5, 6 एवं मौतबिरान के हस्ताक्षर है। अतः स्पष्ट है कि भू.अ.नि. द्वारा मौका रिपोर्ट मौके पर उपस्थित होकर तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पाबूराम को पंजीकृत डाक से सम्मन प्रेषित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत डाक ट्रेक रिपोर्ट अनुसार अपीलांट अप्रार्थी को समुचित तामील होना स्पष्ट है तथा बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः इस संबंध में अपीलांट का उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

3. पत्रावली पर उपलब्ध भू.अ.नि. की मौका रिपोर्ट एवं भू–नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 192 जिसमें प्रार्थीगण की ढ़ाणी निर्मित है, तक पहुंच के लिए रास्ते की मांग की गई हैं। भू.अ.नि. द्वारा खसरा संख्या 192 तक पहुंच के लिए जांच रिपोर्ट में दो विकल्प प्रस्तावित किए गए। प्रथम अणखोल टैल माईनर नहर से ए, बी, सी के रूप में खसरा संख्या 656/211 में से 16 मीटर लंबा एवं खसरा संख्या 196 में से 76 मीटर कुल लंबाई 92 मीटर लंबा रास्ता खेत की सीमा के सहारे–सहारे प्रस्तावित किया गया तथा मौके पर अणखोल टेल माईनर के बाई ओर रास्ता चलायमान होना अंकित है। जिससे रास्ता प्रस्तावित किया गया। अन्य विकल्प अणखोल ग्रेवल सड़क से खसरा संख्या 67, 219 व 218 से जिसकी लंबाई 664 मीटर होना अंकित है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए निकटतम दूरी का विकल्प अणखोल टेल माईनर के साथ–साथ चलायमान रास्ते से खसरा संख्या 656/211 व 196 की सीमा के सहारे–सहारे एकमात्र विकल्प है। धारा 251–क व नियम 69 के अंतर्गत निकटतम दूरी का रास्ता स्वीकृत किया जाना आज्ञापक है। जिसकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुपालना की गई हैं।

4. अपीलांट द्वारा यह भी उज्र लिया गया है कि खसरा संख्या 656/211 में से दिए गए रास्ते के मध्य सीमेंट, ईंट, चदद्रों से बनी ओरड़ी हैं तथा खसरा संख्या 196 में ट्यूबवेल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। जिस पर से रास्ता दिया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश काबिल अपास्त है। हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 196 में निर्मित ट्यूबवेल के उपर से रास्ता स्वीकृत नहीं किया गया है तथा मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि रास्ता ट्यूबवेल व खसरा संख्या 196 की पूर्वी सीमा के मध्य स्थित स्थान से प्रस्तावित किया गया है। जिसमें से ट्यूबवेल को छोड़ा गया है। साथ ही भू.अ.नि. की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 656/211 में प्रस्तावित रास्ते अर्थात खसरा संख्या 656/211 के दक्षिण पूर्व कोने में नहर के समीप 15*15 फीट का सीमेंट, ईंट, चद्दर से नवीन निर्माण करते हुए कथित ओरड़ी निर्मित की गई हैं। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.03.2024 के अंकन अनुसार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसे रूकवाया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चितलवाना व थानाधिकारी जाब को तहरीर जारी की गई। जिसके संबंध में तहसीलदार चितलवाना द्वारा भू.अ.नि. झाब से रिपोर्ट तलब की गई। दिनांक 15.03.2024 की भू.अ.नि. आकोली/झाब एवं स.उ.नि. पुलिस थाना झाब की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर निर्माण कार्य करवाया जाना पाया गया। जिसे मौके पर रूकवाया गया। दिनांक 15.03.2024 के मौके के फोटोग्राफ जो भू.अ.नि. झाब द्वारा मौके रिपोर्ट के साथ पेश किया गया, से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने तथा प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी होने के पश्चात मौके पर संरचना निर्मित करने के प्रयोजन से खसरा संख्या 656/211 के दक्षिणी–पूर्वी कोने पर नहर के ठीक पास में जहां से रास्ते की मांग की गई, अप्रार्थीगण द्वारा पश्चातवर्ती निर्माण करवाया गया। जोकि पूर्व से निर्मित स्थाई संरचना व निवास स्थान नहीं हैं। जोकि प्रस्तावित रास्ते में अवरोध के आशय से निर्माण किया जाना स्पष्ट है। अतः अपीलांट के उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा रास्ता स्वीकृत करने में कानूनन कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने तथा अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य होने से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सांचोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संख्या 11/2023 बअनवान भगवानाराम वगैरह बनाम अचला वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 की पुष्टि की जाती हैं। संबंधित तहसीलदार आदेश की अनुपालना कर मौके पर रास्ता सुचारू करवाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **06.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 21/2026 G.C.M.S. No. 2026/80 दर्ज दिनांक : 26.02.2026

अपीलार्थी:

1. पाबुराम पुत्र जालाराम, जाति बिश्नोई, निवासी आम्बा का गोलिया, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. भगवानाराम पुत्र सुरजन
2. भेराराम पुत्र सुरजन
3. रतनाराम पुत्र कानाराम
4. लाछी पत्नि सुरजन
5. हरचंद पुत्र सुरजन
6. अचला पुत्र फुआ
7. पुनमाराम पुत्र पीराराम
8. बीरबलराम पुत्र पीराराम
9. मृत हेमाराम पुत्र पीराराम के का.मु.–
   - 9.1 पुखराज पुत्र स्व. हेमाराम
   - 9.2 पारसाराम पुत्र स्व. हेमाराम
   - 9.3 रामनिवास पुत्र स्व. हेमाराम
   - 9.4 मुकेश कुमार पुत्र स्व. हेमाराम
   - 9.5 चुनीदेवी पत्नि स्व. हेमाराम
10. करनाराम पुत्र जालाराम
11. खंगाराराम पुत्र चौखा
12. जगमाल पुत्र जालाराम
13. जामता पुत्र मोती
14. पुनमाराम पुत्र जालाराम
15. पुनी पत्नि ठाकराराम
16. भाखराराम पुत्र जालाराम
17. भीयाराम पुत्र जालाराम
18. मोहन पुत्र ठाकरा
19. राजुराम पुत्र जालाराम
20. लाडुराम पुत्र ठाकराराम, जातिगण विश्नोई, निवासीगण आम्बा का गोलिया, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।
21. जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक, सांचौर।
22. आर.एम.जी.बी. शाखा झाब
23. भूमिधारी तहसीलदार महोदय, चितलवाना।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सांचोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2023 बअनवान भगवानाराम वगैरह बनाम अचला वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.02.2026

पैरोकार–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली